<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, कोटा (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी	:	आशीष दाधीच, RJS (जिला न्यायाधीश संवर्ग) लिंक अधिकारी
आपराधिक विविध प्रकरण संख्या	-	1210/2026
एफ आई आर संख्या	-	78/2026
अपराध अन्तर्गत धारा	-	115(2),126(2),110,117(2),3(5) BNS
पुलिस थाना	-	जवाहर नगर, कोटा शहर

मोहित नागर पुत्र महेश नागर, निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा, पुलिस थाना कोतवाली, जिला बारां (राजस्थान)

.....प्रार्थी अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक .....अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित:-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री अंकुर जैन, प्रार्थी अभियुक्त की ओर से
2. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य सरकार की ओर से

आदेश दिनांक: 27.05.2026

प्रार्थी अभियुक्त मोहित नागर की ओर से जमानत का यह प्रार्थना-पत्र उनके अधिवक्ता ने पेश किया। नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली आहूत कर अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने बहस के अंतर्गत जमानत आवेदन में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए पक्षकथन किया है कि प्रार्थी अभियुक्त को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रार्थी अभियुक्त के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकितानुसार कोई भी आपराधिक कृत्य घटित नहीं किया है और ना ही उसके द्वारा किसी प्रकार से कोई आपराधिक कृत्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज करवाये अनुसार घटित किया गया है ना ही उसके द्वारा प्रकरण के मजरूब को किसी प्रकार से कोई उपहति कारित की गई है, मजरूब के शरीर पर किसी प्रकार की कोई मारपीट इत्यादि की चोटें कारित है। मजरूब के शरीर पर जो चोटें आई हैं वह सामान्य प्रकृति की हैं। प्रार्थी अभियुक्त सर्वथा निर्दोष

Authenticated Document

है एवं प्रार्थी से उक्त प्रकरण के तहत अब किसी प्रकार का कोई गहन अनुसंधान अथवा रिकवरी आदि नहीं की जानी है और ना ही किसी प्रकार से कोई बरामदगी की जानी है। प्रार्थी अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक आचरण नहीं है। प्रकरण के सहअभियुक्तगण की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है जिनसे प्रार्थी का मामला भिन्न नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त कोटा शहर का स्थायी निवासी है, जिसके फरार होने या गवाह को टेम्परविद करने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से पूर्व में इस न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने प्रकरण के अनुसंधान एवं तत्पश्चात् विचारण में समय लगना बताते हुए प्रार्थी अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त पक्ष ने आहत संजीव शंकर झा को रोककर उसके साथ मारपीट कर गम्भीर चोट कारित की हैं। प्रार्थी अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 115(2), 126(2), 110, 117(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता का आरोप है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 07.04.2026 को परिवादी संजीव शंकर झा द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना जवाहर नगर, कोटा के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 07.04.2026 शाम 07.45 की बात है वह एक्टिवा लेकर घर की तरफ जा रहा था। शीला चौधरी रोड पर रामाकृष्ण हॉस्पिटल के आगे तीन आदमी मोटरसाइकिल लेकर उसकी एक्टिवा के आगे रोककर उसके साथ सरिया/पाइप से उसके हाथों व पैरों पर मारा जिससे उसके चोटें आई। वह उन व्यक्तियों के नाम पता नहीं जानता क्योंकि उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। उसके बाद थाने की ट्रेकर आई जो कि वहां गश्त कर रही थी वह उसे लेकर थाने आई फिर उसने यहां आकर पूरे हालात बताए..... .इत्यादि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 78/2026 संस्थित होकर अन्वेषणाधीन है।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा S.B. Criminal Misc.Bail Application No.13513/2020 शीर्षक Jugal Vs State of Rajasthan में पारित आदेश दिनांक 25.11.2020 की पालना में अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं रहा है।

Authenticated Document

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होना बताया गया है। अनुसंधान पत्रावली पर आहत संजीव शंकर झा का चोट प्रतिवेदन उपलब्ध है, जिसके अनुसार उसके कुल पांच चोटें आना बताया गया है जिनमें चोट संख्या-01 तीन खरोंच 3X1 cm, 2X1 cm, 1X1 cm दायें घुटने पर लालिमा लिये हुये, चोट संख्या-02 नीलगु 5X2 cm बायें पैर पर ऊपर की ओर लालिमा लिये हुये, चोट संख्या-03 खरोंच 1X0.5 cm दायें अंगूठे पर, चोट संख्या-04 नीलगू 4X2 cm छाती पर बायीं ओर नीचे की तरफ एवं चोट संख्या-05 दर्द की शिकायत दायीं अग्रभुजा पर बताई गई हैं। समस्त चोटें कुन्दाले से कारित होना बताई गई हैं। चोट संख्या-02 व 03 साधारण प्रकृति की पाई गई हैं एवं चोट संख्या-01, 04 व 05 के लिए एक्स-रे की राय देते हुये राय रिजर्व रखी गई तथा बाद एक्स-रे चोट संख्या-01 गंभीर प्रकृति की एवं चोट संख्या-04 व 05 साधारण प्रकृति की पाई गई हैं। डॉक्टर द्वारा जिस चोट को गंभीर बताया गया है, वह आहत के घुटने पर कारित है। आहत के मार्मिक अंग पर कोई प्राणघातक चोट कारित नहीं हुई है। प्रकरण के सह-अभियुक्त रवि महावर की इत्तिला के अनुसार लोहे का पाइप बरामद किया जा चुका है। प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। सह-अभियुक्त रवि महावर की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2026, दीपक सुमन की दिनांक 25.04.2026 को व योगेश की जमानत दिनांक 13.05.2026 को स्वीकार की जा चुकी है, जिनसे प्रार्थी अभियुक्त का मामला प्रथमदृष्टया भिन्न अथवा गुरुतर प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 24.05.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में है, जिससे अब कोई अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष होना नहीं बताया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 115(2), 126(2), 117(2), 110, 3(5) भारतीय न्याय संहिता का आरोप है। अभी प्रकरण के अनुसंधान एवं तत्पश्चात विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुये प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मैं प्रार्थी अभियुक्त की जमानत लेना उचित समझता हूं।

7. निष्कर्षतः प्रार्थी अभियुक्त मोहित नागर की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से विचारण के दौरान अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में व भविष्य में किसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त के साथ राशि 40 हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व राशि 20-20 हजार रूपये की दो सुदृढ़ (प्रतिभूदाता के आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की दो-दो फोटो प्रति सहित) विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर

Authenticated Document

दिये जावें तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जाये। इस जमानत आदेश में ऊपर जो विवेचन किया गया है उसका प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(आशीष दाधीच)
सेशन न्यायाधीश, कोटा
लिंक पीठासीन अधिकारी

8. आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष दाधीच)
सेशन न्यायाधीश, कोटा
लिंक पीठासीन अधिकारी

BANWARI LAL GUPTA
Digitally signed by BANWARI LAL GUPTA
Date: 2026.05.29 07:50:52 +0530

Authenticated Document